रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273954
SG-DL-E-01072026-273954

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]	दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 77
No. 159]	DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948	[N. C. T. D. No. 77

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जून, 2026

फा0 सं0 13(60)/2023/क0सं0एवं भा0/725.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 27/59–एचआईएम (प) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 24 फरवरी, 1966 की अधिसूचना सं0फा0 3(30)/65–एपीपीटीटीएस(ख) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **'हिन्दी अधिकारी'** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–**

(1) इन नियमों को कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, हिन्दी अधिकारी भर्ती नियमावली, 2026 कहा जाए।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की** शक्ति :– जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :– इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

<u>अनुसूची</u>

1.	**पदनाम**	:	**हिन्दी अधिकारी**
2.	**पदों की संख्या**	:	03* (2026) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**पद का वर्गीकरण**	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह–'ख'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर–7 (रुपये 44900–142400/–)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	चयन पद
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक न हो। **टीप 1**:– केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय। **टीप 2**:– आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य योग्यता :** (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी तथा हिंदी माध्यम सहित हिंदी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; अथवा

			किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम सहित हिंदी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी सहित हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में मास्टर डिग्री अथवा या तो डिग्री स्तर पर इन दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में हो तथा दूसरा अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में हो; तथा (ख) हिंदी से अंग्रेजी तथा विलोमतः अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाण–पत्र या भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार में हिंदी से अंग्रेजी तथा विलोमतः अनुवाद कार्य का दो वर्षों का अनुभव रखने वाले। **टीप 1 :** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप 2 :** यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हाँ
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	दो वर्ष **टीप** : सरकार द्वारा यथाविनिर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु सीधी भर्ती वालों के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	67 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है**	:	**पदोन्नति :** विभाग में ग्रेड में पाँच वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स (स्तर–6) में तकनीकी सहायक (हिन्दी) में से। **टीप** :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्तें कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।**	:	**समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति :** 1. वित्तीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **अध्यक्ष**

			2. प्रशासनिक सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** 3. विशेष/अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** **समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति :** 1. वित्तीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **अध्यक्ष** 2. प्रशासनिक सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** 3. विशेष/अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** **टीप** :– यदि विभागीय स्थायीकरण/पदोन्नति समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण/पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण/पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. के. महेश, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

DEPARTMENT OF ART, CULTURE AND LANGUAGES

NOTIFICATION

Delhi, the 10th June, 2026

No.F.13(60)/2023/ACL/725.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of the notification of this Government, published vide notification No. F.3(30)/65-Apptts.(B) dated 24thFebruary, 1966 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Hindi Officer' in the Department of Art, Culture & Languages, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short Title and Commencement.**

   (1) These rules may called the Department of Art, Culture & Languages, Hindi Officer Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, its classification and level in pay matrix.**

   The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.

No persons, -

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the UPSC, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the post	Hindi Officer
2.	Number of posts	03* (2026) * Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification of post	General Central Service Non Ministerial, Gazetted, Group-B
4.	Level in the Pay Matrix	Level-7 (Rs. 44900-142400)
5.	Whether Selection Post/ Non-Selection Post	Selection Post
6.	Age Limit for direct recruits	Not Exceeding 30 Years. Note 1: Relaxable for Government Servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC.
7.	Educational and other Qualification required for Direct Recruits	**Essential Qualification :**

		(i) Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; OR Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi Medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as medium of examination at degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and (ii) Possessing a recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in the Central or State Government, including Government of India Undertaking. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
8.	Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Age : No Educational Qualifications: Yes
9.	Period of probation, if any	Two years Note : There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Government.

10.	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by Deputation/ absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	67% by Promotion 33% by Direct Recruitment
11.	In case of Recruitment by Promotion/deputation/ absorption grades from which Promotion/ deputation/ absorption to be made	Promotion : From Technical Assistant (Hindi) in Pay Matrix (Level-6) with 5 years' regular service in the grade in the department. ***Note :*** Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less and successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Group B Departmental Confirmation Committee :** 1. Financial Commissioner, Government of NCT of Delhi : **Chairperson** 2. Administrative Secretary of the Department of Art, Culture & Languages, Government of National Capital Territory of Delhi : **Member** 3. Special/Additional Secretary (GAD), Government of National Capital Territory of Delhi: **Member** **Group B Departmental Promotion Committee :** 1. Financial Commissioner, Government of NCT of Delhi : **Chairperson** 2. Administrative Secretary of the Department of Art, Culture & Languages, Government of National Capital Territory of Delhi : **Member** 3. Special/Additional Secretary (GAD), Government of National Capital Territory of Delhi: **Member** **Note** : Senior most member of the Departmental Confirmation/ Promotion Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Confirmation/ Promotion Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation/ Promotion Committee.
13.	Circumstances under which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

By Order and in the Name of Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi,
Dr. K. MAHESH, Secy. (ACL)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA